न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर

प्रकरण संख्या–अपील डिक्री/टी.ए./3898/2005/भरतपुर

1– रोशन पुत्र जलसिंह
2– कन्हैया पुत्र जलसिंह, मृतक जरिये विधिक वारिसान–
2/1– नेत्रवती पत्नी कन्हैया
2/2– सोदान सिंह पुत्र कन्हैया
2/3– दीवान सिंह पुत्र कन्हैया
2/4– विनय सिंह पुत्र कन्हैया
2/5– नरेश कुमार पुत्र कन्हैया
2/6– सत्यपाल सिंह पुत्र कन्हैया
3– महावीर पुत्र ढाडे, मृतक जरिये विधिक वारिसान–
3/1– शान्ती पत्नी महावीर
3/2– अचलसिंह पुत्र महावीर
3/3– भगवानसिंह पुत्र महावीर
3/4– राहुल पुत्र महावीर, मृतक जरिये वारिसान–
3/4/1 रेखा पत्नी राहुल
समस्त जाति लोधा राजपूत, निवासीगण सनहूली, तहसील व जिला भरतपुर
4– मानसिंह पुत्र ढाडे
5– छत्तरसिह पुत्र हरीसिंह
6– गोपाल सिंह पुत्र हरीसिंह
7– वीरीसिंह पुत्र कुमर सैन
8– देवीसिंह पुत्र कुमर सैन मृतक जरिये वारिसान–
8/1– महेन्द्र सिंह पुत्र देवीसिंह
समस्त जाति लोधा राजपूत, निवासीगण सनहूली, तहसील व जिला भरतपुर
8/2– राजकुमारी पुत्री देवीसिंह पत्नी सुरेश कुमार, निवासी नगला मंसा, तहसील किरावली, जिला आगरा, उ0प्र0
8/3– मोनिका पुत्री देवीसिंह, पत्नी सुन्दर सिंह, निवासी ग्राम सिंघावली, जिला धौलपुर
8/4– नीरज कुमारी पुत्री देवीसिंह, पत्नी राजवीर सिंह, निवासी ग्राम सिंघावली जिला धौलपुर

–अपीलार्थीगण

बनाम

1– टीकमसिंह पुत्र रामसिंह, मृतक जरिये वारिसान–
1/1– सुरेन्द्र सिह पुत्र टीकम सिह
1/2– वीरेन्द्र सिंह पुत्र टीकम सिह
1/3– हरेन्द्र सिह पुत्र टीकम सिह
1/4– राजेन्द्र सिंह पुत्र टीकम सिह
समस्त जाति जाट निवासीगण सनहूली, तहसील व जिला भरतपुर।

2– गजाधरसिंह पुत्र रामसिंह
3– जलसिह पुत्र रामसिंह
4– रघुवीरसिंह पुत्र रामसिंह मृतक जरिये वारिसान–
4/1– सुजान सिंह पुत्र रघुवीरसिह
4/2– राकेश कुमार पुत्र रघुवीरसिह
4/3– खजान सिंह पुत्र रघुवीरसिह
4/4– राजेश कुमार पुत्र रघुवीरसिह
समस्त जाति जाट निवासीगण सनहूली, तहसील व जिला भरतपुर

–रेस्पोडेन्ट्स

खण्डपीठ
श्री गणेश कुमार, सदस्य
डॉ राकेश कुमार शर्मा, सदस्य

उपस्थितः–
श्री , जे.के. पारीक, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण
श्री , माधवराज, अधिवक्ता, प्रत्यर्थीगण

निर्णय

दिनांकः 30–05–2023

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–326/2002 बउनवानी रोशन व अन्य बनाम टीकमसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–07–2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण/अपीलांट ने उपजिला कलक्टर, भरतपुर के न्यायालय में प्रतिवादी/रैस्पोडेन्ट के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89, 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत किया जो विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2002 से खारिज कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित इस निर्णय के विरूद्ध अपीलांट ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 15–07–2005 से खारिज कर दिया। इसी निर्णय व डिक्री से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादीगण द्वारा यह द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है।

3– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का तर्क है कि वादी अपीलान्ट ने दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया था जो दिनांक 16–10–2002 को साक्ष्य बन्द करने के प्रार्थनापत्र पर खारिज कर दिया और उस आदेश के विरूद्ध प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने भी दिनांक 15–7–2005 को अपील खारिज कर दी। विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं के अवलोकन से स्पष्ट है कि दिनांक 19–02–2001 को पत्रावली नहीं आई थी और उसके पश्चात् पेशियां पडती रही। मण्डल हाजा द्वारा निगरानी संख्या 51/1996 निर्णय दिनांक 27–12–2000 में 200/–रूपये हर्जाने पर साक्ष्य पेश करने हेतु दिनारंक 19–2–2001 के लिए मौका दिया था लेकिन वादी द्वारा साक्ष्य पेश नहीं करने के आधार पर दावा खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी बिना किसी आधार के विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। अतः अपील स्वीकार की जाकर दोनों निर्णय अपास्त किये जावे और वादी अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान किया जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क किया कि बोर्ड का आदेश 200/–रूपये हर्जे पर दिनांक 19–2–2001 को साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया था और वादी द्वारा इस आदेश की पालना नहीं की गयी और ना ही न्यायालय में हाजिर हुए। मण्डल हाजा के एक मौका दिये जाने के पश्चात् भी विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 21–3–2002 को अन्तिम मौका पुनः दिया गया। उसके बावजूद भी साक्ष्य पेश नहीं की। इसलिए विचारण न्यायालय द्वारा दावा सही खारिज किया गया है और प्रथम अपील न्यायालय द्वारा भी निर्णय की पुष्टि सही की गयी है। अतः अपील खारिज की जावें।

6– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया।

7– विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय में कोई अवैधता है और निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

8– प्रस्तुत प्रकरण में विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु मौका दिया गया था और दिनांक 6–7–1994 को वादी की साक्ष्य बन्द की गयी जिस पर वादी ने साक्ष्य खोलने हेतु आवेदन पेश किया जो आवेदन दिनांक 18–3–1996 को स्वीकार करते हुए न्यायहित में साक्ष्य का अन्तिम मौका प्रदान किया गया। इस आदेश के विरूद्ध प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट द्वारा मण्डल हाजा में निगरानी प्रस्तुत की और उक्त निगरानी आंशिक स्वीकार करते

हुए 200/–रूपये कास्ट पर साक्ष्य पेश करने हेतु अन्तिम मौका दिया गया और तारीख पेशी दिनांक 19–2–2001 नियत की गयी। आदेशिका दिनांक 19–2–2001 के अनुसार वादी न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ और ना ही उनके वकील हाजिर हुए। प्रतिवादी मय वकील उपस्थित हुआ और मण्डल हाजा का निर्णय दिनांक 27–12–2000 की प्रति पेश की। इस निर्णय में यह स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि

‘‘ उक्त विवेचन के आधार पर निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर विवादित आदेश दिनांक 18–3–1996 इस प्रकार संशोधित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय 200/रूपये कास्ट पर शहादत प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर देकर मामले में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही करें वादी को पाबन्द किया जाता है कि वे आगामी दिनांक पर अपनी समस्त शहादत लेकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वयं उपस्थित होगा। उभयपक्ष को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 19–2–2001 को उपस्थित होने हेतु निर्देशित किया जाता है।

9– इस प्रकार मण्डल हाजा के आदेश की पालना में वादी विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हुआ और विचारण न्यायालय द्वारा वादी को तलब किया गया जबकि मण्डल हाजा का ऐसा आदेश नहीं था। वादी को विचारण न्यायालय द्वारा तलब करने के बावजूद भी पत्रावली दिनांक 14–12–2001 को नियत की गयी। उस दिन पी0ओ0 अन्य कार्य में व्यस्त होने से दिनांक 8–2–2002 नियत की गयी। उस दिन भी वादी के कोई गवाह हाजिर नहीं थे और पेशी दिनांक 21–3–2002 नियत की गयी। दिनांक 21–3–2002 को भी वादी के गवाह हाजिर नहीं थे और साक्ष्य हेतु अन्तिम मौका दिया गया और पेशी दिनांक 26–3–2002 नियत की गयी। दिनांक 26–3–2002 व 19–4–2002 को भी कोई गवाह हाजिर नहीं थे। दिनांक 8–5–2002 को वादी गवाह लेकर हाजिर आया जिस पर प्रतिवादी ने प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया कि गवाह नहीं ली जा सकती और इस प्रार्थनापत्र पर उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 16–2–2002 को आदेश पारित किया और वादी का वाद खारिज किया। न्यायिक प्रक्रिया का उद्धेश्य न्यायालय को कार्य करने में सहूलियत रहे इस हेतु सीपीसी के प्रावधान बनाये गये है और वादी की साक्ष्य बन्द होने के पश्चात् विचारण न्यायालय द्वारा उदारता अपनाते हुए वादी को साक्ष्य पेश करने हेतु अन्तिम मौका दिया और मण्डल हाजा द्वारा उस आदेश की पुष्टि करते हुए 200/रूपये हर्जाना वादी पर लगाया गया और तारीख पेशी दिनांक 19–2–2001 नियत की गयी। मण्डल हाजा के आदेश के पश्चात् विचारण न्यायालय के पास में साक्ष्य हेतु अवसर दिये जाने का कोई अधिकार शेष नहीं था। मण्डल हाजा के आदेश की ही पालना करनी थी उसके बावजूद भी वादी को लगभग एक साल तक साक्ष्य पेश करने का और न्यायालय में उपस्थित होने का अवसर था लेकिन न्यायालय की तलबी के पश्चात् भी 3–4 पेशियों तक साक्ष्य पेश नहीं की। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी अधिवक्ता की आपत्ति मण्डल हाजा के आदेश के समर्थन में सही थी। न्यायालय को

यह पूर्ण अधिकार है कि यदि वादी साक्ष्य पेश नहीं करता है तो उसका वाद खारिज किया जा सकता है और इस सम्बन्ध में आदेश 17 नियम 3 सीपीसी के प्रावधान महत्वपूर्ण है। हालांकि विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय में इस प्रावधान का उल्लेख नहीं किया है लेकिन यदि वादी साक्ष्य पेश नहीं करता है तो वादी का वाद खारिज किया जा सकता है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2007 एआईआर दिल्ली पेज 151 में यह व्यक्त किया है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार पक्षकारों की अनुपस्थिति में कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए और हर्जे से उसे क्षतिपूर्ति किया जा सकता है।

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2008 आरआरटी II पेज 920 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि अपीलान्ट को सुनने और दावा स्थापित करने का अवसर देने के बाद ही दावा निर्णय किया जाना चाहिए। मामला बोर्ड को रिमाण्ड किया।

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2010 डीएनजे राज. पेज 322 में माननीय उच्च न्यायालय ने यह व्यक्त किया है कि विपक्षी को सुनवाई का अवसर दिये बिना आदेश पारित नहीं किया जा सकता

अन्य न्यायिक दृष्टान्त 2018 डीएनजे रेवेन्यू पेज 38 में मण्डल हाजा द्वारा यह व्यक्त किया है कि तकनीकी आधारों पर वाद खारिज किया जाना उचित नहीं था, केस रिमाण्ड किया। लेकिन इस न्यायिक दृष्टान में बहनों ने भाई के हक में कथन किया था। मौजूदा प्रकरण के तथ्य इस न्यायिक दृष्टान्त से पूर्णतयाः भिन्न है।

न्यायिक दृष्टान्त 2021 डीएनजे II राज. पेज 450 में भी माननीय उच्च न्यायालय ने व्यक्त किया है कि वादी को साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत है लेकिन मौजूदा प्रकरण में ऐसी स्थिति नहीं है। तथ्योकं की भिन्नता है। वादी अपीलान्ट को साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

इस प्रकार उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत प्रकरण के तथ्यों से भिन्न होने से अपीलार्थी को कोई मदद नहीं करते है। मौजूदा प्रकरण में अपीलार्थी को सुनवाई का पर्याप्त मौका दिया गया था। प्रथम अपील न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय की आदेशिकाओं और समस्त तथ्यों का उल्लेख करते हुए निर्णय पारित किया है। उस निर्णय में हस्तक्षेप करने का आधार नहीं है और अपीलार्थी की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

9– परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा अपील संख्या–326/2002 बउनवानी रोशन वगैराह बनाम टीकमसिंह व अन्य में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 15–07–2005 एवं विचारण न्यायालय उप जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा वाद संख्या 547/2002 बउनवानी रोशन व

अन्य बनाम टीकम व अन्य में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16–10–2002 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राकेश कुमार शर्मा)
सदस्य

(गणेश कुमार)
सदस्य